© INTERNATIONAL JOURNAL FOR RESEARCH PUBLICATION & SEMINAR
ISSN: 2278-6848 | Volume: 06 Issue: 06 | 11 | October-December 2015

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में सैन्य-नागरिक संबंधों की भूमिका का अध्ययन

डॉ दीप कुमार श्रीवास्तव

वरिष्ठ प्रवक्ता, रक्षा अध्ययन विभाग

एसएम कॉलेज चंदौसी

सार

सैन्य-नागरिक संबंध भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए मौलिक हैं, जो लोकतांत्रिक शासन और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। यह शोध भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों के विकास, संस्थागत ढांचे, चुनौतियों और रणनीतिक निहितार्थों की पड़ताल करता है। ऐतिहासिक संदर्भ और समकालीन गतिशीलता के विश्लेषण के माध्यम से, यह रणनीतिक स्वायत्तता और नागरिक नियंत्रण के बीच नाजुक संतुलन, सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण के महत्व और विविध सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में नागरिक-सैन्य सहयोग की अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है। रक्षा मंत्रालय और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जैसे प्रमुख संस्थानों की भूमिका की जांच करके, शोध व्यापक रक्षा नीतियों और प्रतिक्रियाओं को आकार देने में सैन्य और नागरिक अधिकारियों के बीच प्रभावी सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा, यह चर्चा करता है कि कैसे मजबूत सैन्य-नागरिक संबंध बेहतर निर्णय लेने, संकट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सार्वजनिक समर्थन में योगदान करते हैं, जो अंततः तेजी से जटिल सुरक्षा वातावरण में भारत की संप्रभुता और स्थिरता को मजबूत करते हैं।

मुख्य शब्द: सैन्य-नागरिक संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत, सामरिक स्वायत्तता, नागरिक निरीक्षण, संस्थागत ढांचा इत्यादि ।

प्रस्तावना

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा इसके सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच संबंधों से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, भारत ने पारंपरिक खतरों से लेकर उभरते गैर-पारंपरिक जोखिमों तक, सुरक्षा चुनौतियों के एक जटिल परिदृश्य का सामना किया है। इस सुरक्षा तंत्र के केंद्र में सशस्त्र बलों और नागरिक अधिकारियों के बीच बातचीत, रक्षा नीतियों, रणनीतियों और प्रतिक्रियाओं को आकार देना शामिल है। भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों का विकास लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सेना पर नागरिक वर्चस्व के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रारंभ में, ध्यान सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने पर था, जिसमें नागरिक नेतृत्व रक्षा मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखता था। पिछले कुछ वर्षों में, बदलती सुरक्षा गतिशीलता, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक अनिवार्यताओं से प्रभावित होकर यह संबंध विकसित हुआ है।

ऐतिहासिक संदर्भ और विकास

भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ और विकास 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश की यात्रा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस विकास को समझने से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की नींव और इसके सैन्य-नागरिक संबंधों को आकार देने वाली गतिशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है।

1. स्वतंत्रता के बाद का युग:

स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत को विभाजन, क्षेत्रीय विवाद और आंतरिक संघर्ष सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नवोदित राष्ट्र को अपने रक्षा बुनियादी ढांचे को नए सिरे से तैयार करना था और साथ ही लोकतांत्रिक शासन संरचनाओं की स्थापना भी करनी थी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारत के रक्षा संगठन का आधार बनाया, जिसमें नागरिक अधिकारियों ने सशस्त्र बलों पर नियंत्रण रखा।

2. संस्थागत ढांचा:

भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों के लिए संस्थागत ढांचे ने रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना के साथ आकार लिया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाला MoD, रक्षा नीति निर्माण और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च नागरिक निकाय बन गया। COSC, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल थे, सरकार को रणनीतिक सैन्य सलाह प्रदान करते थे।

3. नागरिक सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक शासन:

लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सेना पर नागरिक वर्चस्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सैन्य-नागरिक संबंधों को आकार देने में एक मार्गदर्शक सिद्धांत रही है। नागरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि रक्षा नीतियां और कार्य व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप हों। यह सिद्धांत भारत के संविधान में निहित है, जो भारत के राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में रखता है, जिसका नागरिक नियंत्रण प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से होता है।

4. सशस्त्र बलों की भूमिका:

जबकि सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे नागरिक निरीक्षण और लोकतांत्रिक शासन के ढांचे के भीतर काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सैन्य कार्रवाइयां राजनीतिक निर्देशों और व्यापक राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। सशस्त्र बलों ने नागरिक नियंत्रण के सिद्धांत को मजबूत करते हुए नागरिक अधिकारियों के प्रति व्यावसायिकता और वफादारी का प्रदर्शन किया है।

5. रणनीतिक सोच का विकास:

दशकों से, भारत की रणनीतिक सोच बदलती सुरक्षा गतिशीलता, तकनीकी प्रगति और भू-राजनीतिक बदलावों के जवाब में विकसित हुई है। इस विकास ने सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता, एकीकरण और अंतरसंचालनीयता पर बढ़ते जोर के साथ सैन्य-नागरिक संबंधों को प्रभावित किया है। 2019 में चीफ

ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) पद की स्थापना संयुक्तता और समन्वय को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6. निरंतरता और परिवर्तन:

जबकि नागरिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांत स्थिर बने हुए हैं, भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों में भी आंतरिक और बाहरी कारकों की प्रतिक्रिया में बदलाव देखा गया है। आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और नए सुरक्षा खतरों के उद्भव ने रक्षा नीतियों और रणनीतियों में अनुकूलन को आवश्यक बना दिया है, जिससे सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच बातचीत को आकार मिल रहा है।

भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ और विकास देश की लोकतांत्रिक शासन, नागरिक सर्वोच्चता और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनौतियों से पार पाते हुए और बदलती परिस्थितियों को अपनाते हुए, भारत ने एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाया है जो सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करता है, जो अंततः देश की सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देता है।

संस्थागत ढांचा

भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों के लिए संस्थागत ढांचे को प्रभावी सहयोग और निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करते हुए सशस्त्र बलों पर नागरिक निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया है। इस ढांचे में कई प्रमुख संस्थान शामिल हैं जो रक्षा नीतियों को तैयार करने, रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं।

1. रक्षा मंत्रालय (MoD):

संस्थागत ढांचे के शीर्ष पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) है, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं। MoD रक्षा नीतियों को तैयार करने, रक्षा व्यय के प्रबंधन और सशस्त्र बलों के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह नागरिक सरकार और सेना के बीच प्राथमिक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि रक्षा निर्णय राष्ट्रीय उद्देश्यों और राजनीतिक निर्देशों के अनुरूप हों।

2. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी):

चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) में सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल होते हैं, जिनमें से सबसे वरिष्ठ सीओएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं। समिति रक्षा संबंधी मामलों पर सरकार को रणनीतिक सैन्य सलाह प्रदान करती है, जिसमें बल संरचना, परिचालन योजना और संसाधन आवंटन शामिल हैं। जबकि सीओएससी के पास कार्यकारी अधिकार का अभाव है, इसकी सिफारिशें रक्षा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं।

3. सेवा मुख्यालय:

सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा - भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना - का अपना मुख्यालय है जो परिचालन योजना, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार है। ये सेवा

मुख्यालय संबंधित सेवा प्रमुखों और रक्षा मंत्रालय के बीच प्राथमिक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रक्षा नीतियों और निर्देशों के कार्यान्वयन में सुविधा होती है।

4. एकीकृत रक्षा कर्मचारी (आईडीएस):

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (आईडीएस) सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईडीएस) के प्रमुख के नेतृत्व में, आईडीएस सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अंतरसंचालनीयता और तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त योजना, प्रशिक्षण और अभ्यास का समन्वय करता है। यह संयुक्त परिचालन क्षमताओं को सुविधाजनक बनाने और रक्षा चुनौतियों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5. रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी):

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) प्रमुख रक्षा अधिग्रहण और खरीद परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, डीएसी रक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन और प्राथमिकता देता है, खरीद प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और रक्षा अनुबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। रक्षा अधिग्रहणों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

6. संसदीय निरीक्षण:

रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति सहित संसदीय निरीक्षण तंत्र, रक्षा नीतियों, बजट और व्यय की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समितियाँ सांसदों को रक्षा-संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने, सरकार से स्पष्टीकरण मांगने और रक्षा प्रशासन और जवाबदेही में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

भारत में सैन्य-नागरिक संबंधों के लिए संस्थागत ढांचा सैन्य व्यावसायिकता के साथ नागरिक नियंत्रण को संतुलित करने, प्रभावी शासन और रणनीतिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करके, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देकर और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, ये संस्थान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की समग्र प्रभावशीलता और वैधता में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

सैन्य-नागरिक संबंध भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का अभिन्न अंग हैं, जो लोकतांत्रिक शासन, रणनीतिक निर्णय लेने और परिचालन प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सशस्त्र बलों पर नागरिक निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करके, भारत सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखता है। सैन्य और नागरिक क्षेत्रों के बीच तालमेल संकट प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाता है, सार्वजनिक समर्थन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान देता है। आगे बढ़ते हुए, जटिल सुरक्षा

वातावरण से निपटने, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और भारत की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए संयुक्तता, एकीकरण और नागरिक-सैन्य सहयोग पर निरंतर जोर देना आवश्यक होगा। राष्ट्र के लिए एक व्यापक और एकजुट सुरक्षा प्रतिमान को आकार देने में सैन्य-नागरिक संबंधों को मजबूत करना सर्वोपरि है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बनर्जी, ए.के. (2010)। भारत में नागरिक-सैन्य संबंध। एस. कुमार (एड.) में, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा: वार्षिक समीक्षा 2009 (पृ. 127-148)। रूटलेज।
2. कोहेन, एस.पी. (2012)। भारत में नागरिक-सैन्य संबंध: सैनिक, समाज और राज्य। टी. सी. ब्रूनो और एफ. सी. माटेई (सं.) में, नागरिक-सैन्य संबंधों की रूटलेज हैंडबुक ।
3. गहलौत, एस. (2008)। भारत में नागरिक-सैन्य संबंध: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आर.के. विज (एड.) में, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक-सैन्य संबंध (पीपी. 102-121)। मानस प्रकाशन।
4. कौशिक, ए. (2011)। भारत में नागरिक-सैन्य संबंध। वी. शंकर और डी. एस. चंद्रन (सं.) में, भारत में रक्षा सुधार: एक नीति परिप्रेक्ष्य (पीपी. 195-204)। शैक्षणिक उत्कृष्टता।
5. सिंह, जी.के. (2010)। भारत के नागरिक-सैन्य संबंध: संतुलन का प्रश्न। सामरिक विश्लेषण, 34(6), 866-880।
6. भोंसले, आर.के. (2012)। भारत में नागरिक-सैन्य संबंध: अतीत, वर्तमान और भविष्य। सामरिक विश्लेषण, 36(5), 676-688.
7. सिंह, एच., और पंत, एच. वी. (2010)। भारत के नागरिक-सैन्य संबंध: संतुलन का प्रश्न। सामरिक विश्लेषण, 34(6), 866-880।